कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– 1151 / 14–1, दिनांक , अक्टूबर 18 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– विश्व बैंक पोषित बदांयू –विल्सी –बिजनौर मार्ग (एस. एच.– 51) के चौड़ीकरण हेतु **(1) सम्भल** में किमी. 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों (संशोधित 7789 वृक्षों) के पातन तथा **(2) अमरोहा** में किमी. 107.00 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों (संशोधित 4503 वृक्षों) के पातन इस प्रकार दोनों प्रभागों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों (संशोधित 12292 वृक्षों) के पातन की अनुमति के सम्बंध में दोनों प्रभागों का संयुक्त प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र सं. 8बी/06/10/2016/एफ0सी0/1381/लखनऊ दिनांक 04/02/2016 एवं आपका पत्रांक 2562/बदांयू–विल्सी–बिजनौर मार्ग, दिनांक, लखनऊ, 01–06–2016 तथा पत्रांक 2501/11सी, दिनांक लखनऊ, 24–05–2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना हैं कि विषयक प्रस्ताव में उक्त पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा आपत्तियां इंगित की गयी थी, तत्कम में मुरादाबाद वृत्त के नियत्रंणाधीन प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल एवं अमरोहा ने निम्न प्रकार आपत्तियों का निस्तारण कर दोनों प्रभागों का एक संयुक्त प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारियों से प्राप्त संयुक्त प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

Observation .No	Observation of GOI	Reply /Modification (संशोधन/निराकरण)
1.	The proposal has not been integrated into one. Actually the proposal is a disjointed proposal of two districts	सम्भल व अमरोहा के अलग – अलग प्रस्ताव को एकीकृत (Integrated) करके इसकी तीन प्रतियां अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
2.	On the part-1 of the proposal page 10 , it has been mentioned that cost –benefit analysis is not required which is incorrect .	पूर्व प्रस्ताव के पार्ट–1 के पृष्ठ सं0 10 पर सही–सही प्रविष्टि कर दी गयी है। जो एकीकृत प्रस्ताव के साथ संलग्नक – 6 ए,बी,सी के रूप में Cost-Benefit Analysis पेज संख्या–26 से 29 तक संलग्न है।
3.	The calculation of NPV as per crown density , eco-class and area has not been submitted with the proposal.	एकीकृत प्रस्ताव में crown density, eco-class and NPV की गणना शीट पेज संख्या–37 से 39 तक संलग्न है।

Observation .No	Observation of GOI	Reply /Modification (संशोधन/निराकरण)
4.	**Social Forestry Division , Sambhal**	
a.	The Cost benefits analysis submitted with the proposal is not in order.	एकीकृत प्रस्ताव में Cost benefits annalysis का विवरण भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप 6 ए,बी,सी पेज संख्या–26 से 29 तक संलग्न है।
b.	The forest land area calculation sheet at page 20 & 21 has not been signed by the forest officials.	प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के हस्ताक्षर फारेस्ट एरिया कैलकूलेशन शीट पर करा दिये गये है। पेज संख्या–33 पर संलग्न है।
c.	The site suitability certificate for compensatory afforestation submitted at page no 34 is not in order.	सही प्रारूप में site suitability certificate लगा दिया गया है। पेज संख्या–59 पर संलग्न है।
d.	The CA estimates are only 10 ha whereas the same should have been for double the forest land proposed for diversion	एकीकृत प्रस्ताव में धनौरा रेंज में 77.60 हे0 क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन तैयार कर पेज संख्या–61 से 63 तक संलग्न है। यह भूमि प्रभावित भूमि के दुगने के बराबर है।
e.	The Geo-referenced map in requisite kml/shp file has not been submitted in CD/pen drive with the proposal.	एकीकृत प्रस्ताव की 3 प्रतियों के साथ अलग–अलग 3 सी0डी0 वांछित मैप व फाइलों के साथ प्रेषित की जा रही है।
f.	Enumeration list of total trees standing on the forest land and another list of trees required to be felled has to be submitted.	प्रस्ताव के साथ पेज संख्या–69 से 73 तक संलग्न है।
5.	**Social Forestry Division –Amroha**	
a.	The Cost benefits analysis submitted with the proposal is not in order .	एकीकृत प्रस्ताव में Cost benefits annalysis का विवरण भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप 6 ए,बी,सी पेज संख्या–26 से 29 तक संलग्न है।
b.	The forest land area calculation sheet at page 27 & 28 has not been signed by the forest officials.	प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा के हस्ताक्षर फारेस्ट एरिया कैलकुलेशन शीट पर करा दिये गये है। पेज संख्या–33 पर संलग्न है।

-3-

Observation .No	Observation of GOI	Reply /Modification (संशोधन/निराकरण)
c.	The site suitability certificate for compensatory afforestation submitted at page no 39 is not in order.	सही प्रारूप में site suitability certificate लगा दिया गया है। पेज संख्या–59 पर संलग्न है।
d.	The CA estimates are only 10 ha patch whereas the same should have been for double the forest land proposed for diversion	एकीकृत प्रस्ताव में हसनपुर रेंज में 49.00 हे0 क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन तैयार कर पेज संख्या–64 से 67 तक संलग्न है। यह भूमि प्रभावित भूमि के दुगने के बराबर है।
e.	The Geo-referenced map in requisite kml/shp file has not been submitted in CD/pen drive with the proposal.	एकीकृत प्रस्ताव की 3 प्रतियों के साथ अलग–अलग 3 सी0डी0 वांछित मैप व फाइलों के साथ प्रेषित की जा रही है।
f.	Enumeration list of total trees standing on the forest land and another list of trees required to be felled has to be submitted.	प्रस्ताव में पेज संख्या–74 से 79 तक संलग्न है।
6.	A line diagram showing width of proposed road (upto shoulder) and is needed for proper assessment of forest area required for diversion.	प्रस्ताव में पेज संख्या–100 से 143 तक संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि (एकीकृत प्रस्ताव की 3 प्रतियां मूल में एवं 3 सी0डी0)।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 22–2 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि :– 1. प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 2. प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकरी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(संलग्नक– प्रस्ताव 3 प्रतियों में)**

प्रतिलिपि :– 3. अधीक्षण अभियंता, विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद, को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।